न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 40/2023 खाद्य सुरक्षा
उनवान प्रकरण

सरकार जरिये प्रेमचन्द शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. दीपक कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी मैसर्स रमेश एण्ड सन्स, आर.के. काम्पलेक्स सोलंकी टॉकीज, शास्त्रीनगर, भीलवाडा 2. मैसर्स मेगा प्रोडक्ट प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड सर्व नं. 427, प्लॉट नं. 12 48 49 व 50, महागुजरात इण्डस्ट्रीय ईस्टेट, सरखेज बाबला हाईवे, गांव मोरईया, अहमदाबाद
– प्रार्थी		**–विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2 श्री मनोहर लालवानी अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से
3 विपक्षी संख्या 02 के प्रतिनिधि उपस्थित।

आदेश

दिनांक 14.03.2024

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी दीपक कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी मैसर्स रमेश एण्ड सन्स, आर.के. काम्पलेक्स सोलंकी टॉकीज, शास्त्रीनगर, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को पान मसाला (विमल) आदि का विकय कर रहा था। दीपक कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी मैसर्स रमेश एण्ड सन्स, आर.के. काम्पलेक्स सोलंकी टॉकीज, शास्त्रीनगर, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता फर्म पर पान मसाला (विमल) आम जनता के विकय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया। न्याय

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड पान मसाला (विमल) का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 18.08.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 26.09.2023 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित है। विपक्षी संख्या 02 की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना पान मसाला (विमल) मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्राप्त जांच रिपोर्ट में पाया गया कि फर्म से लिया गया नमूना पान मसाला (विमल) में **Use by/ Expiry** - Absent.Contravention of Regulation No. 5(10)(a) of Food Safety and Standards (Labeling and display) Regulations, 2020. Chapter 2. **Nutrition Information**- Given but perecentage contribution of RDA and quantity of sodium is not mention on label of sample. Contravention of Regulation No. 5(3)(b)(ii)(D) of Food Safety and Standards (Labeling and display) Regulations, 2020. Chapter 2. **Name and Address** – Incomplete Address. Contravention of Regulation No. 5(6) of Food Safety and Standards (Labeling and display) Regulations, 2020. Chapter 2. **Warnings** – given in small letter. Contravention of Regulation No. (3)(1) Schedule II of Food Safety and Standards (Labeling and display) Regulations, 2020. Chapter 2.पाया गया। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड पान मसाला (विमल) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा पैक माल खरीदा जाकर पैक अवस्था में ही विक्रय किया जाता है। कोई मिलावट नही की जाती हैं। इसलिए विपक्षी संख्या 01 के विरूद्व कोई कार्यवाही नही की जावे। विपक्षी संख्या 02 ने अपनी लिखित बहस एवं जवाब में अंकित किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उनको उक्त प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित नही की गयी, जिससे विपक्षी दोबारा जांच कराने से वंचित हो गये। जो डाक विभाग की रसीद खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पत्रावली में लगायी हैं वह स्पष्ट नहीं हैं एवं त्रुटिपूर्ण हैं। जिस व्यक्ति को ये डाक भेजी गयी उसका नाम एवं दिनांक और समय अंकित नहीं हैं। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तीन आदेश पारित किये गये– 1. नारायण प्रसाद साहू बनाम मध्यप्रदेश सरकार 2021(2) एफएसी 637, 2. रामेश्वरदयाल बनाम स्टेट ऑफ यू. पी. 3. विजेन्द्र बनाम स्टेट ऑफ यू.पी.। इस प्रकार वादी पक्ष द्वारा फूड सैफ्टी प्रावधान में दी गयी जिम्मेदारी पूरी नहीं की हैं तथा यह वाद त्रुटिपूर्ण हैं। निवेदन हैं कि इस प्रकरण में कार्यवाही निरस्त/खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./48/एक्ट/2023/75 दिनांक 30.01.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, पान मसाला (विमल) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण मिसब्राण्डेड होना पाया गया। प्राप्त जांच रिपोर्ट में पाया गया कि फर्म से लिया गया नमूना पान मसाला (विमल) में Use by/ Expiry -** Absent.Contravention of Regulation No. 5(10)(a) of Food Safety and Standards (Labeling and display) Regulations, 2020. Chapter 2. **Nutrition Information-** Given but perecentage contribution of RDA and quantity of sodium is not mention on label of sample. Contravention of Regulation No. 5(3)(b)(ii)(D) of Food Safety and Standards (Labeling and display) Regulations, 2020. Chapter 2. **Name and Address** – Incomplete Address. Contravention of Regulation No. 5(6) of Food Safety and Standards (Labeling and display) Regulations, 2020. Chapter 2. **Warnings** – given in small letter. Contravention of Regulation No. (3)(1) Schedule II of Food Safety and Standards (Labeling and display) Regulations, 2020. Chapter 2.**पाया गया। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड पान मसाला (विमल) विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।**

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उन्हे उक्त रिपोर्ट के बारे में कोई सूचना जरिये डाक द्वारा प्राप्त नही हुयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध डाक रसीद त्रुटिपूर्ण हैं। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता हैं कि प्रकरण में फूड अधिकारी द्वारा नियमानुसार विपक्षी संख्या 01 व 02 को डाक द्वारा सूचना प्रेषित की गयी। विपक्षी संख्या 01 ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रश्नगत सैपल के बिल एवं स्वयं के आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रस्तुत किये गये जिससे जाहिर होता हैं कि विक्रेता को उक्त प्रकरण की जानकारी थी। उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 02 के प्रतिनिधि ने आदेशिका दिनांक 26.09.2023 को अपनी उपस्थिति न्यायालय में दर्ज करायी हैं। जिससे जाहिर होता हैं कि विपक्षी संख्या 02 को उक्त प्रकरण की जानकारी होते हुये भी आज दिनांक तक उक्त प्रकरण में दोबारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

जांच हेतु कोई आवेदन नही किया एवं न ही मौखिक रूप से न्यायालय में निवेदन किया गया। इसी प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण से यह जाहिर हुआ कि प्रकरण में लिये गये सैंपल पान मसाला (विमल) के मिसब्राण्डेड होने के संबंध में विपक्षी संख्या 01 व 02 ने किसी प्रकार का कोई खण्डन नही किया, कोई जवाब पेश नहीं किया एवं न ही मौखिक रूप से उजर ऐतराज किया गया। यदि उक्त सैंपल की दोबरा जांच करायी भी जाती है, तो प्रकरण में मिसब्राण्डेड के संबंध में, जो कि पान मसाला के लेबल पर प्रिंट होना व नहीं होना के संबंध में निर्णय किया जाना होता हैं। प्रकरण में सैंपल के मिसब्राण्डेड होने पर ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मिसब्राण्डेड नमूने का ही निर्णय किया जा रहा हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण पान मसाला (विमल) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड पान मसाला (विमल) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत विपक्षी संख्या 01 पर 50,000/–रूपये, विपक्षी संख्या 02 पर 1,00,000/–रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2 दीपक कृपलानी पुत्र रमेश कृपलानी मैसर्स रमेश एण्ड सन्स, आर.के. काम्पलेक्स सोलंकी टॉकीज, शास्त्रीनगर, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

3 मैसर्स मेगा प्रोडक्ट प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड सर्व नं. 427, प्लॉट नं. 12 48 49 व 50, महागुजरात इण्डस्ट्रीय ईस्टेट, सरखेज बाबला हाईवे, गांव मोरईया, अहमदाबाद को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)